BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630/2023
(I.A. No. 775/2023)

IN THE MATTER OF:
ANAND ARYA

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF OFFICE LETTER DATED 08.09.2022 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE- 1.**	
3.	A COPY OF LETTER DATED 13.12.2024 AND 17.12.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE- 2**	
4.	A COPY OF LETTERS DATED 18.12.2024, DATED 03.01.2025 AND DATED 04.01.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE- 3**	
5.	A COPY OF THE GAZETTE NOTIFICATION IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE- 4**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 06.01.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630/2023
(I.A. No. 775/2023)

IN THE MATTER OF:

ANAND ARYA

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Pramod Kumar, aged about 59 years, S/o Late Padam Dhar Shrivastava, posted as Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, U.P, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Pramod Kumar, Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar, U.P, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized on behalf of the Principal Chief Conservator of Forest to swear the present Affidavit.

2. That the present matter is raised in respect of conservation and notification of Dhanauri Wetlands in Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.

NOTARY ★ K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar ★ GOVT. OF INDIA

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 25.09.2024 issued the following direction as stated under:

> *"...2. Learned Counsel for the applicant during the course of argument has submitted that proposal for declaring the subject Dhanauri Wetlands as Ramsar site has been prepared by Nodal Officer but it is to be forwarded by the Principal Chief Conservator of Forest (PCCF) of the State to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC).*
>
> *3. Learned Counsel for State of Uttar Pradesh (UP) will obtain instructions and be ready on this aspect..."*

4. That in compliance of the above- mentioned directions passed by the Hon'ble Tribunal, it is submitted that the area in discussion in the present matter falls under the notified jurisdiction of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA), Greater Noida. The total area of the Dhanauri waterbody has been determined to be 112.89 hectares. In this regard, the Chief Executive Officer of YEIDA, Greater Noida, through Office Letter dated 08.09.2022 has informed the Divisional Forest Officer, Gautam Budh Nagar that as per the 74th board meeting of the appropriate authorities the decision taken after deliberations by the Board of Directors is that the proposal is approved with amendment that NOC has been granted for declaring the Dhanauri waterbody as a wetland (as clearly stated in Affidavit of YEIDA filed and available on Judicial Record at page no. 308-309).

A copy of office letter dated 08.09.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 1.**

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

5. That in pursuance to the direction provided by the Chief Conservator of Forests (Eco Development) / Member Secretary, Uttar Pradesh State Wetlands Authority through letter dated 13.12.2024 and 17.12.2024 to the Divisional Forest Officer, Forest Division, Gautam Budh Nagar and the Conservator of Forests / Regional Director, Meerut respectively, the actions as directed by the State Wetlands Authority have been initiated at the level of the District Wetland Authority, Gautam Buddh Nagar.

   A copy of letter dated 13.12.2024 and 17.12.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 2.**

6. That it is further submitted before the Hon'ble Tribunal that through a presentation made by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Gautam Buddh Nagar, it was conveyed that the proposed Ramsar site, located in the villages of Dhanauri Kalan, Thasrana, and Amipur Bangar within Sadar Tehsil, District Gautam Buddh Nagar, primarily includes privately owned land. In this regard, it has been recommended that consultations and consent from the stakeholders (landowners) be obtained before proceeding with further action.

7. That to facilitate the necessary actions, requests have been made to the Chief Executive Officer, Yamuna Industrial Development Authority, Greater Noida, and the concerned landowners through letters issued by the Divisional Forest Officer / Member Secretary, District Wetland Authority, Gautam Buddh Nagar, Letters dated 18.12.2024, dated 03.01.2025 and dated 04.01.2025.

   A copy of letters dated 18.12.2024, dated 03.01.2025 and dated 04.01.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 3.**

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

8. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that since the matter involves numerous landowners, three months to take and complete the necessary actions will be required, therefore, it is respectfully requested that an extension of three months may be granted.

9. That it is respectfully submitted before the Hon'ble Tribunal that the State Wetland Authority is recommendatory body responsible for recommending actions and Sdecisions related to wetlands. The authority functions under the provisions outlined in the Gazette Notification No. 802, dated 26.09.2017, issued by the Government of India. The authority conducts consultative proceedings and provides recommendations to the State Government for Ramsar site designation.

A copy of the Gazette Notification is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 4.**

10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at G.B. Nagar on this 06 day of ~~December, 2024,~~ Jan 2025 that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY K.P. Yadav Reg. No. 4123 G.B. Nagar GOVT. OF INDIA

ATTESTED K.P. YADAV NOTARY PUBLIC 06 JAN 2025

ANNEXURE- 1

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सैक्टर, ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक/वाई0ई0ए0/Plng/85/2022
दिनांक– 08-09-2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर वन प्रभाग
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:–**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सैक्टर–16 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक–4944/355/गौतमबुद्ध नगर दिनांक–06/05/2022 तथा पत्रांक–882/32–5 दिनांक–04.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें पत्र दिनांक–06.05.2022 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्राधिकरण द्वारा पत्रांक–वाई.ई.ए./Plng/1177/2022 दिनांक–09.06.2022 प्रेषित किया गया। अवगत कराना है कि धनौरी जल निकाय को वैटलैण्ड घोषित कराने सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया (प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत एजेण्डा व कार्यवृत्त संलग्न)। जिसके क्रम संचालक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है–

"संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वैटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी0 प्रदान की जाये।"

उल्लेखनीय है कि परामर्शदाता संस्था द्वारा ड्राफ्ट महायोजना–2041 की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है जिसमें धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल–46.35 हैक्टेयर दर्शाया गया है तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हैक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हैक्टेयर में से लगभग 25 हैक्टेयर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है। जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में ड्राफ्ट महायोजना–2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव अनुसार ही धनौरी जल निकाय को मात्र वैटलैण्ड घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

7.9.22

(डा0 अरूणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-2 ई-मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ

पत्र संख्या- 45/26-11(UPSWA)-02/2023(Vol.II) लखनऊ, दिनांक, 13 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न पांचवी बैठक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-130/26-11(UPSWA)-02/2023(Vol.II) दिनांक 26.12.2023 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न हुयी। बैठक में समिति के निर्णय संबंधी कार्यवृत्त को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था। उक्त आख्या अभी तक अप्राप्त है।

अतः प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

13/12/24

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- 45 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/12/24

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

ई-मेल/सुनवाई तिथि 07.01.2025

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ

पत्र संख्या- 47/26-11(UPSWA)-02/2023(Vol.II) लखनऊ, दिनांक, 17 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-630/2023 आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1817/35-3 दिनांक 16.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-630/2023 आनन्द आर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अंतिम बैठक दिनांक 06.12.2023 में धनौरी वेटलैण्ड को रामसर स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया गया था। उस बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर भी उपस्थित थे। प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"प्रभागीय निदेशक, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबद्धनगर की तहसील धनौरी के अन्तर्गतग्राम-धनौरी कला/ठसराना/अमीपुर बांगर में प्रस्तावित किये जा रहे रामसर स्थल में अधिकाँश निजी भूमि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में हितधारकों से विचार-विमर्श एवं सहमति प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये।"

बैठक में समिति के निर्णय संबंधी कार्यवृत्त को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2023 एवं 13.12.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को अग्रत्तेर कार्यवही हेतु प्रेषित किया गया है। संदर्भित पत्र दिनांक 13.12.2024 की प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी हैं।

अतः इस सम्बन्ध में समिति के निर्णय संबंधी कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- 47 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-3

संलग्नक-5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई-1सैक्टर 01 नोएडा।
पत्रॉक 2680 /35-5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 18 -12-2024

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न पांचवी बैठक के सम्बन्ध में।

संदर्भः- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-45/26-11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0)-02/2023 (Vol-II) लखनऊ, दिनांक 13-12-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षत में सम्पन्न पांचवी बैठक में समिति के निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया कार्यवृत्त में **एजेण्डा नम्बर-6 में निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:-**

"प्रभागीय निदेशक, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबद्धनगर की तहसील धनौरी के अन्तर्गत ग्राम-धनौरी कला/ठसराना/अमींपुर बांगर में प्रस्तावित किये जा रहे रामसर स्थल में अधिकांश निजी भूमि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में हितधारकों से विचार-विमर्श एवं सहमति प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये।"

कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय के अनुसार हितधारकों की एक बैठक आयोजित कराना समाचीन होगा। कृपया तदानुसार बैठक आयोजित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रॉक 2680 /35-5 दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

आलमा5 –6

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई–1सैक्टर 01 नोएडा ।

पत्रॉक 2915 /35–5 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 03 –01–2025

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न पांचवी बैठक के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–45/26–11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0)–02/2023 (Vol-II) लखनऊ, दिनांक 13–12–2024।
2– इस कार्यालय का पत्रांक–2680/35–5, दिनांक 18–12–2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। सन्दर्भित पत्र के साथ उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षत में सम्पन्न पांचवी बैठक में समिति के निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी थी कि कृपया कार्यवृत्त के एजेण्डा **नम्बर–6 में लिये गये निर्णय के अनुसार** हितधारकों की एक बैठक आयोजित कराने की कृपा करें, परन्तु उक्त सम्बन्ध में वर्तमान तक भी की गयी कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में अप्राप्त है।

अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रॉक /35–5 दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई–1सैक्टर 01 नोएडा

पत्रांक 1928 /35–5 दिनांक गौतमबुद्धनगर 4 –01–2025

सेवा मे,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न पांचवी बैठक के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ का पत्रांक–45/26–11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0) –02/2023 (Vol-II) लखनऊ, दिनांक 13–12–2024

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ का पत्रांक–85/ए/26–11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0) –27/2019, दिनांक 20–10–2023।

3– इस कार्यालय का पत्रांक–2680/35–5, दिनांक 18–12–2024।

4– इस कार्यालय का पत्रांक–2915/35–5, दिनांक 03–01–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ की मा0 वन मंत्री की अध्यक्षत में सम्पन्न पांचवी बैठक में समिति के निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया कार्यवृत्त में एजेण्डा नम्बर–6 में निम्न प्रकार निर्णय लिया गया हैः–

"प्रभागीय निदेशक, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर की तहसील धनौरी के अन्तर्गत ग्राम–धनौरी कला/ठसराना/अमींपुर बांगर में प्रस्तावित किये जा रहे रामसर स्थल में अधिकांश निजी भूमि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में हितधारकों से विचार–विमर्श एवं सहमति प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–85/ए/26–11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0)–27 /2019, दिनांक 20–10–2023, पत्रांक–45/26–11 (यू0पी0एस0डब्लू0ए0)–02/2023 (Vol-II) लखनऊ, दिनांक 13–12–2024 एवं पत्रांक–47/ए/26–11–02/2023 दिनांक 17–12–2024 द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है कि राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित ग्राम सभाओं/समस्त स्टैक होल्डर्स के साथ प्रस्तावक विभाग के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कराकर बैठक में लिये गये निर्णय की स्थिति से अवगत कराया जाये।"

कृपया उपरोक्तानुसार बैठक आयोजित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /35–5 दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप जिलाधिकारी, जेवर/सदर/दादरी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट, खुर्जा, बुलन्दशहर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद रेंज।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-4

संलग्न-4

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुन:भरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बोध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहि:स्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा बहिवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

Scanned with OKEN Scanner

(च) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;

(झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;

(ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;

(iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;

(iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;

उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निस्सारण;

(v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और

(vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;

(ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

Scanned with OKEN Scanner

(viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;

(xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;

(xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;

(xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;

(xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;

(xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;

(xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;

(xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;

(xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।

(4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

Scanned with OKEN Scanner